

पत्रांक—श्रम क०सं०—51/2026-1114
बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, गयाजी के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से दुर्घटना में मृत **02** श्रमिकों के आश्रित को रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए) प्रति कामगार की दर से रु० **4,00,000/-** (चार लाख रुपए) एवं **06** श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु रु० **3,00,000/-** (तीन लाख रुपए) अर्थात् कुल राशि रु० **7,00,000/- (सात लाख रुपए मात्र)** अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/दावेदार/आधार संख्या	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता/मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का व्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	स्व० रामदास पासवान, 62, राम भजन पासवान, अनुसूचित जाति	गौरी देवी, (पत्नी)	837, 11.06. 2026	ग्रा०—कमल बिगहा पो०—कुरमावॉ, थाना+प्रखण्ड—कोंच, जिला—गयाजी 9199133027	7214010 0089422	MBGB, PUNB0 MBGB 06	रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए)	दुर्घटना मृत्यु कृषि मजदूर
02	स्व० शिव दास, 45, फेकन दास, अनुसूचित जाति	फुला देवी, (पत्नी)	838, 11.06. 2026	ग्रा०+पो०—काबर, थाना—ऑंती, प्रखण्ड—कोंच, जिला—गयाजी 9525204663	7244070 0046413	DBGB, PUNB0 MBGB 06	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु कृषि मजदूर
03	स्व० जीवन चौधरी, 64, फिशन चौधरी, अनुसूचित जाति	गौंगिया देवी, (पत्नी)	839, 11.06. 2026	ग्रा०—यदुचक, पो०—ईटवॉ, थाना+प्रखण्ड—मोहनपुर, जिला—गयाजी 7870624757	1616001 7000392 26	PNB, PUNB0 161600	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु टेला चलाने का कार्य
04	स्व० लखन चौधरी, 51, पातुल चौधरी, अनुसूचित जाति	मुन्नी देवी, (पत्नी)	840, 11.06. 2026	ग्रा०—सिरियावॉ, पो०+थाना+प्रखण्ड—मोहनपुर, जिला—गयाजी 8295798324	7252070 0007141	DBGB, PUNB0 MBGB 06	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु पशु चराने का कार्य
05	स्व० बाबुलाल चौधरी, 57, रामधनी चौधरी, अनुसूचित जाति	बल्केशरी देवी, (पत्नी)	841, 11.06. 2026	ग्रा०—सिरियावॉ, पो०+थाना+प्रखण्ड—मोहनपुर, जिला—गयाजी 7479583949	7252170 0052678	DBGB, PUNB0 MBGB 06	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु रस्सी निर्माण का कार्य
06	स्व० जगदीश चौधरी, 60, केशो चौधरी, अनुसूचित जाति	सोना देवी, (पत्नी)	843, 11.06. 2026	ग्रा०—सिरियावॉ, पो०+थाना+प्रखण्ड—मोहनपुर, जिला—गयाजी 9065369877	7252010 0021765	MBGB, PUNB0 MBGB 06	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु पशु चराने का कार्य



07	स्व० जीतेन्द्र चौधरी, 43, बैजनाथ चौधरी, अनुसूचित जाति	लालती देवी, (पत्नी)	845, 11.06. 2026	ग्रा०-टेशवार, पो०-बशादी, थाना+प्रखण्ड-मोहनपुर, जिला-गयाजी 8409605479	3825483 3758	SBI, SBIN0 014323	रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु पशु चराने का कार्य
08	स्व० राजेन्द्र चौधरी, 42, बुटाई चौधरी, अनुसूचित जाति	कालो देवी, (पत्नी)	846, 11.06. 2026	ग्रा०-यदुचक, पो०-ईटवाँ, थाना+प्रखण्ड-मोहनपुर, जिला-गयाजी 7481914356	1616001 7001516 50	PNB, PUNB0 161600	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, रिकसा चालक कामगार

कुल :- रु० 7,00,000/-
(सात लाख रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-51/2026-11111

पटना, दिनांक :- १९/०८/२०२६

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 7,00,000/- (सात लाख रुपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/उप श्रमायुक्त, गयाजी/श्रम अधीक्षक, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

19/08/2026
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक